आवेदक समस्त ग्रामवासी चपरीद तहसील आरंग जिला रायपुर छ0ग0
विरूद्ध राजकुमार मानिकपुरी ग्राम चपरीद तहसील आरंग जिला रायपुर छ0ग0

रा.प्र.क./.202504112600064/ अ–56/ 2024–25

1	2	3
22/05/2026	प्रकरण पेश। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि आवेदक समस्त ग्रामवासी चपरीद तहसील आरंग जिला रायपुर के द्वारा इस आशय से आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि ग्राम चपरीद के कोटवार राजकुमार मानिकपुरी द्वारा शासन से मिलने वाली भूमि जिसे ग्राम नौकर के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया गया है। जहां शासन द्वारा सी.सी.रोड व मिट्टी सड़क निर्माण कराया गया था। जिससे ग्रामीण कृषक अपना कृषि कार्य करते थे। जिसे राजकुमार मानिकपुरी द्वारा जे.सी.बी. से उखाड़कर अवागमन बाधित कर रखा है। इस प्रकार के कृत्य से ग्रामीण परेशान है व कहने पर विवाद की स्थिति निर्मित करते हुए अपने का दबंगई पूर्वकं पेश करते है। अतः राजकुमार मानिकपुरी को पद से पृथक की कार्यवाही के साथ ही अवैध आपराधिक कृत्य पर वसुली व कठोर दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने का निवेदन प्रस्तुत आवेदन में किया गया है प्रकरण में हल्का पटवारी ग्राम चपरीद प.ह.नं. 18 रा.नि.मं. समोदा उप तहसील समोदा जिला रायपुर छ0ग0 में स्थित भूमि खसरा नंबर 359 रकबा 0.66 हे. खसरा नंबर 545 रकबा 0.56हे. एवं खसरा नंबर 634 रकबा 0.90हे. भूमि के संबंध में प्रतिवेदन निम्नानुसार है:– 01. यह कि उक्त भूमि वर्तमान भू–अभिलेख में राजकुमार पिता मनराखनदास पनिका ग्राम नौकर मद में दर्ज है। 02. यह कि उक्त भूमि पर धरसा कच्ची सड़क 4 मीटर चौड़ाई लम्बी पट्टी रूप में उक्त सभी खसरों पर बना हुआ है। 03. यह कि खसरा नंबर 634 पर सी.सी. रोड ग्राम पंचायत द्वारा सांसद निधि से प्राप्त राशि से 2021–22 में बनवाया गया था। 04. वर्तमान में कोटवार राजकुमार मानिकपुरी द्वारा कच्ची सड़क धरसा एवं सी.सी. रोड दोनो को जे.सी.बी. से उखाड़ कर खेत में शामिल कर लिया गया है। प्रकरण में सरपंच ग्राम पंचायत चपरीद जनपद पंचायत आरंग जिला रायपुर छ0ग0 की उपस्थिति में हल्का पटवारी ग्राम चपरीद प.ह.नं. 18 उप तहसील समोदा जिला रायपुर छ0ग0 द्वारा पंचनामा प्रस्तुत किया गया कि आज दिनांक 02/04/2025 को ग्राम चपरीद प.ह.नं. 18, रा.नि.मं. समोदा उप तहसील समोदा तहसील आरंग जिला रायपुर छ0ग0 में ग्राम वासियों, पंचो, एवं ग्राम सरपंच की उपस्थिति में ख.नंबर. 359 रकबा 0.66 हे. खसरा नंबर 545 रकबा 0.56हे. एवं खसरा नंबर 634 रकबा 0.90हे. भूमि जो कि राजस्व अभिलेख में वर्तमान में राजकुमार पिता मनराखनदास पनिका ग्राम नौकर मद में दर्ज है	नायब तहसीलदार समोदा (आरंग)

का मौका मुआयना किया गया। उक्त भूमि पर खार की ओर जाने वाले नहर नाली बनने के पूर्व से एवं कोटवार को भूमि आबंटन के पूर्व से लगभग 4 मीटर चौड़ाई का कच्चा धरसा रास्ता बना हुआ था। वर्तमान कोटवार के द्वारा इस धरसा पट्टी को तोड़कर अपने खेत मे शामिल कर लिया गया है एवं खसरा नंबर 634 में सांसद निधि से 2021–22 में ग्राम पंचायत द्वारा सी.सी. रोड चौड़ाई 16 फीट एवं लम्बाई 79 मीटर का खार की ओर जाने का मार्ग निर्माण किया गया था जिसे कोटवार द्वारा जे.सी.बी. से तुड़वाकर खेत में मिला लिया गया है।

प्रकरण में अनावेदक राजकुमार मानिकपुरी ग्राम कोटवार ग्राम चपरीद तहसील आरंग जिला रायपुर छ0ग0 को उक्त आवेदन के संबंध में कारण बताओं नोटिस जारी किया गया कि आवेदक समस्त ग्रामवासी चपरीद तहसील आरंग जिला रायपुर के द्वारा इस आशय से आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि ग्राम चपरीद के कोटवार राजकुमार मानिकपुरी द्वारा शासन से मिलने वाली भूमि जिसे ग्राम नौकर के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया गया है। जहां शासन द्वारा सी.सी. रोड व मिट्टी सड़क निर्माण कराया गया था। जिससे ग्रामीण कृषक अपना कृषि कार्य करते थे। जिसे राजकुमार मानिकपुरी द्वारा जे.सी.बी से उखाड़कर अवागमन बाधित कर रखा है। इस प्रकार के कृत्य से ग्रामीण परेशान है व कहने पर विवाद की स्थिति निर्मित करते हुए अपने का दबंगई पूर्वक पेश करते है। अतः राजकुमार मानिकपुरी को पद से पृथक की कार्यवाही के साथ ही अवैध आपराधिक कृत्य पर वसुली व कठोर दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने का निवेदन प्रस्तुत आवेदन में किया गया है। उक्त संबंध में अपना जवाब दिनांक इस न्यायालय को दिनांक 21/04/2025 तक उपस्थित होकर प्रस्तुत करे।

प्रकरण में अनावेदक राजकुमार मानिकपुरी पिता स्व. मनराखन दास मानिकपुरी निवासी ग्राम चपरीद पटवारी हल्का नंबर 18, रा.नि.मं. समोदा तहसील आरंग जिला रायपुर छ0ग0 द्वारा कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया है जिसका कंडिकावार जवाब निम्नानुसार है:–

01. यह कि सूचनाप्राप्तकर्ता के नाम से ग्राम नौकर धारणाधिकार राजकुमार वल्द स्व. मनराखनदास के नाम ग्राम चपरीद पटवारी हल्का नंबर 18, रा.नि.मं. समोदा में निम्नानुसार भूमि प्राप्त है जिसमें सूचनाप्राप्तकर्ता द्वारा कृषि कार्य किया जाता है, बी–1 वर्ष 2023–24 के अनुसार खसरा नंबर 359, 492, 544, 545, 634 रकबा क्रमशः 0.66, 0.97, 0.45, 0.86, 0.90हे. कुल खसरा 05 कुल रकबा 3.84हे. भूमि दर्ज है। उक्त भूमि में सूचनाप्राप्तकर्ता का निर्बाध रूप से धान फसल उपजाया जाता है व काश्त काबित है। जो कि प्रकरण में संलग्न है।

02. यह कि सूचनाप्राप्तकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष ग्राम नौकर के

नाम दर्ज कृषि भूमि खसरा नंबर 359, 544, 545, 634 की भूमि की सीमा के सीमांकन हेतु दिनांक 28.03.2025 को आवेदन पेश करने पर माननीय न्यायालय द्वारा राजस्व मामला क्रमांक अ/12 वर्ष 2023–24 के तहत राजस्व निरीक्षक को सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 11.04.2025 तक प्रेषित करने ज्ञापन भेजा गया । 1 पन्ने दस्तावेज संलग्न है ।

03. यह कि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यालय राजस्व निरीक्षक समोदा द्वारा दिनांक 04.04.2024 को सीमांकन सूचना संबधित समीपस्थ कृषकों को सेवा भूमि के सीमांकन हेतु जारी कर दिनांक 30.04.2025 को मौके पर उपस्थित रहने जानकारी दी गई। दस्तावेज 6 पन्ने संलग्न है ।

04. यह कि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 30.04.2025 को सीमांकन की सूचना उपरांत राजस्व निरीक्षक भूमि स्वामी व अन्य सीमांकन की सूचना प्राप्त करने वाले कृषकगण ग्रामवासी व ग्राम सरपंच के पति द्वारा विरोध करने व मौके को विवादित बताते हुए सीमांकन कार्य नहीं करने दिए व दिनांक 30.04.2025 को पंचनामा में उपस्थित रहने पर भी सूचनाप्राप्तकर्ता के सीमांकन करवाने में असहयोग करने से सीमांकन नहीं हो सका। दो पेज दस्तावेज संलग्न है ।

05. यह कि सूचना प्राप्तकर्ता द्वारा सेवा भूमि की भूमि का नक्शा दिनांक 01.04. 2025 को ऑनलाईन निकाला गया जिसमें सेवा भूमि जो अभिलेख में दर्ज है उसी अनुसार प्रदाय किया गया है। तीन पेज नक्शा संलग्न है। कंडिका । में संलग्न दस्तावेज के साथ ।

06. यह कि माननीय न्यायालय से सूचनाप्राप्तकर्ता को दिनांक 16.04.2025 को प्राप्त नोटिस में भूमि स्वामी ग्राम नौकर सूचनाप्राप्तकर्ता को बिना सूचना के हल्का पटवारी द्वारा आनन फानन में दिनांक 02.04.2025 को पंचनामा व प्रतिवेदन जिसमें सूचनाप्राप्तकर्ता के भूमि स्वामी में धरसा, रास्ता, सीसी रोड को उखाड़कर खेत में शामिल करने की झूठी व ग्रामीणों को दबाव में प्रतिवेदन दिया जाना स्पष्ट है जिसमें सूचनाप्राप्तकर्ता ग्रामीण व हल्का पटवारी का न्यायालय के समक्ष परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण करवाना आवश्यक है जिस हेतु सूचना प्राप्तकर्तासाक्ष्य आहूत करने में लगने वाले शुल्क को अदा करने तैयार है ।

07. यह कि सूचनाप्राप्तकर्ता को प्राप्त माननीय महोदय से कारण बताओं नोटिस में संलग्न ग्राम पंचायत चपरीद का दिनांक 16.03.2025 के प्रस्ताव में सूचनाप्राप्तकर्ता ग्राम कोटवार को कोटवार पद से हटाने का कारण शासकीय मद से निर्मित सीसी रोड एवं मिट्टी सड़क को जे.सी.बी.मशीन से तोड़वाकर हटाया है जिससे ग्रामीणों का रास्ता बंद हो गया है इसलिए सूचनाप्राप्तकर्ता को पद से हटाने का प्रस्ताव है ।

इस संबध में सूचनाप्राप्तकर्ता का स्पष्ट कथन है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा या जिलाधीश रायपुर व अन्य किसी विभाग द्वारा सन् 2020 से 2025 तक खसरा नंबर 359, 492, 544, 545, 634 ग्राम चपरीद में सेवा भूमि

सूचनाप्राप्तकर्ता के नाम है में किसी भी प्रकार से सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु राशि स्वीकृत नहीं हुई है एवं छत्तीसगढ़ शासन स्थापना नि.वि.योजना के तहत सूचनाप्राप्तकर्ता के स्वामित्व की भूमि में निर्माण करने हेतु कोई स्वीकृत पत्र ग्राम पंचायत चपरीद को प्राप्त नहीं हुआ है इस संबध में कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत आरंग, जिला रायपुर के ग्राम चपरीद के कार्य आदेश दिनांक 01.10.2020 में संलग्न राजस्व दस्तावेज नक्शा दिनांक 04.07.2020 व खसरा में वर्णित शासकीय भूमि खसरा नंबर 635, 636 एवं ग्राम पंचायत चपरीद के प्रस्ताव कमांक 7 में खसरा नंबर 635 रकबा 0.85 हेक्टेयर की भूमि में सीसी रोड निर्माण कार्य सांसद निधि से कराए जाने प्रस्तावित प्रस्ताव दिनांक 18.06.2020. संलग्न है। जो कि कुल 27 पन्ने में दस्तावेज संलग्न है ।

08. यह कि सूचनाप्राप्तकर्ता कोटवार के विरूद्ध सरपंच, उपसरपंच, सचिव ग्राम विकास समिति व ग्रामवासियों के हस्ताक्षर बनाकर दिनांक 08.04.2025 को माननीय नायब तहसीलदार को प्राप्त शिकायत में ग्राम नौकर राजकुमार के नाम की कृषि भूमि में शासन द्वारा सीसी रोड व मिट्टी सड़क निर्माण कराया था का कथन पूर्णतः असत्य होने से अस्वीकार है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ग्राम नौकर राजकुमार के नाम की सेवा भूमि में निर्माण हेतु कोई राशि नहीं दी गई है। जो कि दस्तावेजों से प्रमाणित है ।

09. यह कि सूचनाप्राप्तकर्ता को प्राप्त सेवा भूमि से लगकर नहर माइनर है जिसमें मेड़ बनी है जिससे ग्रामीण कृषक धान फसल उपजाने से लेकर कटाई तक आवागमन का कार्य करते है उक्त माइनर की मेड़ में निर्माण हेतु शासन या सिचाई विभाग द्वारा कोई राशि निर्माण हेतु नहीं दी गई है। समीपस्थ कृषकगण स्वयं कृषि कार्य के आवागमन हेतु नहर माइनर को सुधार कर आना जाना करते है।

10. यह कि सूचनाप्राप्तकर्ता को वर्ष 2024 में ग्राम के हल्का पटवारी द्वारा मूल नक्शा देखकर बताया कि सूचनाप्राप्तकर्ता कोटवार को प्राप्त सेवा भूमि में बिना शासन की स्वीकृति के खसरा नंबर 634, 359, 545 के भाग में अतिक्रमण किए है उपरांत सूचना प्राप्तकर्ता द्वारा सेवा भूमि में अतिक्रमण की जानकारी वर्तमान सचिव को देने पर कहा गया कि सेवा भूमि को किसी ने अतिक्रमण किया है तो उसे हटाने पंचायत सहयोग करेगी कहकर ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम समोदा के जे.सी.बी. से सूचनाप्राप्तकर्ता की सेवा भूमि में बने अतिक्रमण को हटाया गया है उक्त समय ग्रामीण व सूचना प्राप्तकर्ता उपस्थित रहा है।

11. यह कि ग्राम चपरीद में मुख्य नहर खसरा नंबर 581 से आने जाने हेतु खसरा नंबर 1056 से ग्रामवासियों का आवागमन निर्वाध रूप से चल रहा है। जो कि आम तमाम ग्रामीणों की जानकारी में है।

12. यह कि माननीय न्यायालय के समक्ष ग्रामवासियों की शिकायत में संलग्न हल्का पटवारी द्वारा कोटवार सेवा भूमि धारक की अनुपस्थिति में संलग्न

22/05/25

खसरा में कोटवार के नाम दर्ज भूमि है जिसके नक्शा दिनांक 02.04.2025 में काली चिन्ह गहरी सीमा खसरा नंबर 545, 634, 359 कोटवार के नाम दर्ज है में लाल स्याही से चिन्हित स्थल पर कच्चा धरसा सीसी रोड बना था लिखा है उक्त धरसा किसने किस मद की शासन से राशि प्राप्त कर बनाया है बिना जानकारी के सेवा भूमि में अतिक्रमण की जानकारी पटवारी हो ज्ञात होने के बाद भी झूठी रिर्पोट ग्रामीणों के कहने से कोटवार सूचनाप्राप्तकर्ता को हटाने बनाकर दिया है।

13. यह कि ग्राम चपरीद के हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 02.04.2025 को मौका स्थल जांच कर सेवा भूमि में किए गए अवैध सीसी रोड धरसा जो कि नहर माइनर की है से लगकर सेवा भूमि के संबध में हुए अतिक्रमण की सूचना ग्राम पंचायत के माध्यम से तहसीलदार को भेजे जाने दिया गया था परन्तु ग्राम पंचायत सरपंच व अन्य ग्रामीणों द्वारा पूर्ण ईमानदारी स्वच्छ छवि वाले कोटवार सूचनाप्राप्तकर्ता के खिलाफ ग्रामीणों ने पूर्व से नियोजित षडयंत्र कर स्वयं अतिक्रमण हटवाकर कोटवार के खिलाफ ईर्ष्या दुश्मनीवश झूठी शिकायत किए है ।

14. यह कि सूचनाप्राप्तकर्ता कोटवार द्वारा कृषकों के अवागमन को कभी भी बाधित नहीं किया है आज भी समीपस्थ कृषकगण उक्त नहर माइनर की मेड़ से आना जाना करते है जिसमें कोटवार द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया है न ही शासकीय भूमि में निर्मित सीसी रोड एवं सड़क मिट्टी को तोड़ा है जो भी हल्का पटवारी ने दिनांक 02.04.2025 के प्रतिवेदन में लिखा है वह ग्राम पंचायत व ग्रामीणों द्वारा दबाव बनवाकर पटवारी से सेवा भूमि में अतिक्रमण को आधार बनाकर सेवा भूमि धारक कोटवार को हटाने का ग्रामीणों का षडयंत्र है। इसलिए ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत शिकायत पूर्णतः हल्का पटवारी से सेवाभूमि धारक सूचनाप्राप्तकर्ता के नाम की सेवा भूमि में ग्रामीणों द्वारा स्वयं व्यवधान व अतिक्रमण हटाने के कृत्य से बचने सूचनाप्राप्तकर्ता कोटवार के खिलाफ झूठा मामला प्रस्तुत किए है जो कि ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत शिकायत व उसमें संलग्न दस्तावेजों से स्पष्ट है ।

15. यह कि माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित सेवा भूमि के सीमांकन कार्य में शिकायकर्तागण द्वारा व्यवधान कर सीमांकन राजस्व निरीक्षक को करने नहीं दिया गया प्रतिवेदन संलग्न है उपरांत पुनः तहसीलदार आरंग के नाम दिनांक 26.04.2025 को कोटवार सूचना प्राप्तकर्ता के सेवा भूमि के सीमांकन नहीं करने हेतु एवं पूर्णतः ईमानदार निष्ठा भाव से कार्य करने वाले कोटवार को हटाने हेतु चक्का जाम धरना प्रदर्शन की शिकायत कलेक्टर रायपुर शासन को करने का पत्र दिए है इसलिए माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि ग्रामीण सरपंच द्वारा प्रस्तुत शिकायत की जांच व तत्काल शिकायतकर्ताओं की साक्ष्य हेतु दिनांक 25.05.2025 को प्रकरण

नियत कर साक्ष्य ग्रामीणों सरपंच पटवारी का लेकर निराकरण करने की कृपा हो ।

प्रकरण में अनावेदक राजकुमार मानिकपुरी निवासी ग्राम चपरीद तहसील आरंग जिला रायपुर छ0ग0 द्वारा उक्त जवाब के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया गया है कि–

1. यह कि मैं उपरोक्त नाम व पते का स्थायी निवासी हूँ ।
2 यह कि में ग्राम चपरीद उपतहसील समोदा, तहसील आरंग, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ का कोटवार हूँ।
3. यह कि मेरे विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.04.2025 को ग्राम चपरीद की शासकीय संपत्ति को तोड़ने व ग्राम में अशांति का माहौल बनाने व ग्राम सुविधा में व्यवधान पहुंचाने के संबध में कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है ।
4. यह कि मेरे द्वारा उक्त नोटिस का कंडिकावार क्रमशः जवाब प्रस्तुत किया जा रहा है। जो कि सत्य व सही है जिसके समर्थन में यह शपथपत्र प्रस्तुत है ।
5. यह कि मेरे द्वारा उक्त जवाब में कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य को न तो छुपाया गया है और न ही बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है। उक्त जवाब में वर्णित समस्त कथन सत्य व सही है जिसके समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत है।

प्रकरण में वादभूमि से संबंधित दस्तावेजो, आवेदक का कथन, अनावेदक का कथन, हल्का पटवारी प्रतिवेदन, एवं अन्य दस्तावेजों का अनुशिलन एवं परिशिलन किया गया। प्रकरण में आवेदकगण के द्वारा ग्राम कोटवार राजकुमार मानिकपुरी के द्वारा शासकीय संपत्ति को तोड़ने एवं ग्राम में अशांति का माहौल बनाने तथा ग्राम सुविधा को बाधित करने के आधार पर कोटवार के पद से हटाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसके संबंध में कार्यालय ग्राम पंचायत चपरीद की कार्यवाही बैठक दिनांक 16/03/2025 के प्रस्ताव में शासकीय राशि से निर्मित सी.सी. रोड एवं मिट्‌टी सड़क को जे.सी. बी. मशीन से बिना किसी आदेश के तोड़कर हटाये जाने एवं गांव में अशांति माहौल उत्पन्न करने के कारण कोटवारी पद से पृथक करने का प्रस्ताव पारित किया है। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत पंचनामामय प्रतिवेदन दिनांक 02/04/2025 में प्रतिवेदित किया गया है कि वाद भूमि खसरा नंबर 359, 545 एवं 634 रकबा क्रमशः 0.66, 0.56, 0.90हे. ग्राम नौकर मद मे दर्ज है। उक्त खसरों मे से खसरा क्रमांक 634 के भाग पर सी.सी. रोड ग्राम पंचायत द्वारा सांसद निधि से प्राप्त राशि से वर्ष 2021–22 में बनवाया गया था जिसे ग्राम कोटवार राजकुमार मानिकपुरी के द्वारा उखाड़ दिया गया है। पंचनामा में यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त सी.सी. रोड लगभग 79 मीटर लम्बी थी जिसे कोटवार द्वारा जे.सी.बी. से उखाड़ दिया गया है। ग्राम कोटवार राजकुमार मानिकपुरी पिता स्व. मनराखन दास मानिकपुरी के द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया है जो कि प्रकरण में संलग्न है। प्रकरण में अनावेदक ग्राम कोटवार का मूल तर्क यह है कि उसकी कोटवारी सेवा भूमि खसरा क्रमांक 359, 492, 544, 545 एवं 634 ग्राम चपरीद में किसी भी प्रकार से सीसी रोड निर्माण हेतु राशि स्वीकृत नहीं हुई है। कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत आरंग जिला रायपुर के ग्राम चपरीद के कार्यादेश दिनांक 01/10/2020 में संलग्न राजस्व दस्तावेज नक्शा दिनांक 04/07/2020 व

22/05/25

खसरा में वर्णित शासकीय भूमि खसरा नंबर 635, 636 एवं ग्राम पंचायत चपरीद के प्रस्ताव क्रमांक 07 में खसरा नंबर 635 रकबा 0.85हे. भूमि पर सीसी रोड निर्माण कार्य सांसद निधि से कराए जाने प्रस्तावित प्रस्ताव दिनांक 18/06/2020 संलग्न है। प्रकरण में प्रस्तुत पंचनामा दिनांक 02.04.2025 से यह पुष्टि होती है कि ग्राम कोटवार के द्वारा खसरा नंबर 634 में सांसद निधि से 2021–22 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित 79 मीटर सीसी रोड को जेसीबी से उखाड़ दिया गया है। हालांकि उक्त सीसी रोड निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव शासकीय भूमि खसरा नंबर 635 में पारित हुआ था किंतु त्रुटिवश उक्त सीसी रोड का निर्माण कोटवारी भूमि खसरा क्रमांक 634 में कर दिया गया। उक्त सीसी रोड निर्माण कोटवारी सेवा भूमि खसरा क्रमांक 634 में हो जाने पर ग्राम कोटवार के द्वारा बिना उच्चाधिकारियों को सूचित किये बल पूर्वक शासकीय राशि से निर्मित सीसी रोड को जेसीबी से उखाड़ दिया गया। इस प्रकार शासकीय राशि से निर्मित रोड को उखाड़े जाने का कृत्य ग्राम नौकर के द्वारा किया जाना सार्वजनिक हित के विपरीत है। अतः छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 230 के अधिन निर्मित कोटवारी नियम क्रमांक 05(1) के तहत ग्राम कोटवार राजकुमार मानिकपुरी पिता स्व. मनराखन मानिकपुरी को सार्वजनिक हित के विरूद्ध किये गये कृत्य के लिए कोटवारी पद से पृथक किया जाता है।

एतद् आशय का आदेश जारी हो। पक्षकार सूचित हो। हल्का पटवारी, कानूनगो, को सूचना जारी हो।

(गजानंद सिदार)
नायब तहसीलदार
समोदा

नायब तहसीलदार
समोदा (आरंग)

2/05/2026